भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *254
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 / 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

***254 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के मामलों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) दोषसिद्धि, दोषमुक्ति में समाप्त होने वाले अथवा विभिन्न अवधि तक न्यायालयों में लंबित रहने वाले मामलों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती संख्या के कारणों की पहचान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254, दिनांक 18.12.2024

दिनांक 18.12.2024 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254 के उत्तर में संदर्भित विवरणः

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है व उसे अपने प्रकाशन "भारत मे अपराध " में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, दोषमुक्त मामलो और वर्ष के अंत में ट्रायल हेतु लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक पर है।

(ग): महिलाओं के अधिकारों के बारे में समाज में शिक्षा और जागरूकता के स्तर मे वृद्धि, कानून प्रवर्तन तंत्र में सुधार, पुलिस थानों तक पहुंच में आसानी और मामलों के पंजीकरण की सुविधा, पुलिस का प्रशिक्षण और संवेदीकरण में वृद्धि और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि, के कारण अपराध की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने**,** महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जाँच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जाँच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा ट्रायल को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254, दिनांक 18.12.2024

ii. तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ, पहली बार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबन्धित प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक अध्याय के तहत रखा गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर आदि यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रावधान एक निवारक के रूप में कार्य करता है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु तक, आजीवन कारावास होगी। पहले, इस तरह की सजा के लिए आयु सीमा 12 वर्ष थी।

iii. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें संकटग्रस्त कॉलर के स्थान की पहचान करने और संकट के स्थान पर जमीनी संसाधनों को भेजने की सुविधा के लिए स्थान-आधारित सेवा/ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस शामिल है।

iv. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

v. सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता निर्माण हेतु "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vi. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) का शुरुआत किया है।

vii. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराधों के लिए निगरानी प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254, दिनांक 18.12.2024

viii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

ix. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

x. गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

xi. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना है और महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से Universalisation of Women Helpline (WHL) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल सेवा के माध्यम से तत्काल और 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान

करना है। इस योजना के तहत, सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन को 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ERSS-112) हेल्पलाइन और 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ एकीकृत किया गया है। वर्तमान में, महिला हेल्पलाइन-181 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है।

इसके अलावा, न्याय विभाग की बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष POCSO न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) की स्थापना के लिए 2019 से एक योजना लागू है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.10.2024 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 विशेष POCSO न्यायालयों सहित कुल 750 FTSC कार्यरत हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इन न्यायालयों ने 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

******

वर्ष 2020-2022 के दौरान, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलें (सीआर), आरोपपत्रित मामलें (सीसीएस), दोषसिद्ध मामलें (सीओएन), दोषमुक्त मामलें (सीएक्यु) और वर्ष के अंत में लंबित मामले (सीपीटीइवाई)

क्रम स.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	2020					2021					2022				
		सीआर	सीसी एस	सीओएन	सीएक्यु	सीपीटीइवाई	सीआर	सीसी एस	सीओएन	सीएक्यु	सीपीटीइवाई	सीआर	सीसी एस	सीओएन	सीएक्यु	सीपीटीइवाई
1	आंध्र प्रदेश	17089	13106	279	3871	43466	17752	16084	176	2948	51641	25503	24456	414	8485	59575
2	अरुणाचल प्रदेश	281	227	1	1	2729	366	298	21	12	2944	335	268	29	27	3137
3	असम	26352	16314	140	4068	78562	29046	17545	148	3647	92042	14148	12108	512	10056	90075
4	बिहार	15359	9787	174	222	90936	17950	12376	521	430	101701	20222	16246	1059	677	115796
5	छत्तीसगढ़	7385	6288	870	1261	28556	7344	6699	819	1726	32533	8693	7258	3214	1883	34270
6	गोवा	219	176	11	58	1664	224	178	4	63	1755	273	207	16	103	1811
7	गुजरात	8028	7522	59	1158	91732	7348	6868	127	2398	96001	7731	6757	228	4019	98357
8	हरियाणा	13000	7662	168	876	30071	16658	9057	467	2174	36475	16743	9347	591	3902	41260
9	हिमाचल प्रदेश	1614	1261	49	196	8136	1599	1280	72	266	8997	1551	1171	141	450	9370
10	झारखंड	7630	5704	992	903	23157	8110	5779	606	629	27593	7678	6598	1208	2842	30019
11	कर्नाटक	12680	10354	163	3331	62856	14468	13033	512	5690	69194	17813	13612	540	9139	72455
12	केरल	10139	9497	1367	5551	67542	13539	13417	502	2909	77147	15213	15782	803	6337	84532
13	मध्य प्रदेश	25640	22141	2017	3092	104167	30673	26092	4057	6336	115771	32765	26512	6155	9031	121682
14	महाराष्ट्र	31954	27104	668	3655	229242	39526	31885	996	6043	252852	45331	33821	1486	11309	271761
15	मणिपुर	247	110	2	7	863	302	125	8	18	958	248	121	22	13	1033
16	मेघालय	568	377	63	40	2467	685	542	66	38	2882	690	525	69	94	3182
17	मिजोरम	172	167	72	21	694	176	169	45	10	808	147	145	87	38	825
18	नागालैंड	39	25	13	1	189	54	41	7	3	219	49	47	9	5	248
19	ओडिशा	25489	22729	144	1427	135313	31352	25193	193	2120	158193	23648	18772	671	6613	169572
20	पंजाब	4838	3518	194	566	11406	5662	3742	307	1116	13643	5572	3905	442	1865	14989
21	राजस्थान	34535	18311	3780	3137	93508	40738	22532	4180	4004	105202	45058	24578	4211	4807	116630
22	सिक्किम	140	106	11	15	353	130	118	24	37	404	179	138	39	98	384
23	तमिलनाडु	6630	4838	392	1376	22568	8501	5642	500	2264	25291	9207	7882	882	3637	28345
24	तेलंगाना	17791	17124	801	2329	49935	20865	19437	406	3211	60666	22066	20963	609	4486	68332
25	त्रिपुरा	874	794	34	150	4702	807	813	47	197	5148	752	680	66	380	5143
26	उत्तर प्रदेश	49385	41109	8386	4728	211604	56083	42727	7713	4787	240921	65743	50616	13099	4678	272625
27	उत्तराखंड	2846	2037	99	135	8628	3431	2548	196	218	10761	4337	2995	163	220	13353
28	पश्चिम बंगाल	36439	31354	73	3443	303360	35884	34565	154	5862	331629	34738	33729	786	7996	356330
	कुल (राज्य)	**357363**	**279742**	**21022**	**45618**	**1708406**	**409273**	**318785**	**22874**	**59156**	**1923371**	**426433**	**339239**	**37551**	**103190**	**2085091**
29	अंडमान और निकोबार दीसमूह	143	149	15	36	928	169	167	17	126	948	178	168	17	76	1014
30	चंडीगढ़	301	197	11	30	882	343	177	20	66	914	325	202	45	96	930
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	61	57	2	29	225	99	71	2	51	234	126	93	8	72	245
32	दिल्ली	10093	9028	403	388	64177	14277	9538	274	355	72541	14247	8595	442	709	78777
33	जम्मू और कश्मीर *	3405	2003	19	533	14382	3937	3147	52	519	16648	3716	2705	68	922	17784
34	लद्दाख	9	9	14	6	29	18	12	4	4	29	15	15	1	3	37
35	लक्षद्वीप	15	8	2	1	48	9	24	0	2	70	16	13	2	1	79
36	पुदुचेरी	113	110	63	32	524	153	162	0	14	672	200	153	2	11	812
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**14140**	**11561**	**529**	**1055**	**81195**	**19005**	**13298**	**369**	**1137**	**92056**	**18823**	**11944**	**585**	**1890**	**99678**
	कुल (अखिल भारत)	**371503**	**291303**	**21551**	**46673**	**1789601**	**428278**	**332083**	**23243**	**60293**	**2015427**	**445256**	**351183**	**38136**	**105080**	**2184769**

स्रोत : क्राइम इन इंडिया